

2025/475

खाश्रीज

फर्द अहकाम
(नियम 15)

28.7.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
आयुष कुमार
बनाम पूर्णाराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 333 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">om ?</p>	
23-7-2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">om ?</p>	
28.7.2025	<p>वकील वादी उपरिचित। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खाश्रीज करवाना चाहते हैं। कि वाद पत्र मौजूदा स्थिति में खाश्रीज किया जा रहा है। प्रजावली नम्बर से काम की जाकर वाद पत्रावली तत्काल जाकर फाइल दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">om ?</p>	<p>आगे नहीं चलाना पहला Ayush Kumar</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

